

भाग-5

(इस वन प्रभाग के प्रभारी सचिव अथवा राज्य सरकार के किसी अन्य प्राधिकरण अधिकारी को अवर सचिव के पद के नीचे का अधिकारी न हो द्वारा भरा जाना है)

जनपद मुरादाबाद में टोरेट गैस प्रा0लि0 मुरादाबाद द्वारा मुरादाबाद-चन्दौसी मार्ग (एन0एच0-509) किमी0 चैनेज 20.00 से 34.100 तक बांयी पटरी पर, मुरादाबाद-सम्भल मार्ग (एस0एच0-148) किमी0 चैनेज 6.180 से 16.140 तक बांयी पटरी, मेरठ-बरेली मार्ग (एन0एच0-24) किमी0 चैनेज 160.050 से 164.100 तक दांयी पटरी, मेरठ-बरेली मार्ग (न्यू एन0एच0-09) किमी0 चैनेज 166.000 से 174.900 तक बांयी पटरी एवं मुरादाबाद-ठाकुरद्वारा-काशीपुर मार्ग (न्यू एन0एच0-734) किमी0 चैनेज 0 से 2.200 तक बांयी पटरी पर गैस पाईप लाईन बिछाये जाने हेतु 2.3544 हे0 संरक्षित वनभूमि के गैरवानिकी प्रयोग एवं बिना वृक्ष पातन के गैरवानिकी प्रयोग की अनुमति के संबंध में।

(प्रस्ताव सं0 एफपी/यू0पी0/पाइपलाइन/120844 /2021)

राज्य सरकार की सिफारिशें-वन अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-2404 / 81-2-2021-800(138)/2021, दिनांक 08 फरवरी, 2021 के द्वारा प्रस्ताव पर मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी की संस्तुति के आधार पर संस्तुत।

(उपर्युक्त भाग-ख या भाग-ग या भाग-घ में से किसी अधिकारी या प्राधिकारी द्वारा की गयी प्रतिकूल टिप्पणियों पर विशिष्ट टिप्पणी की जाये।)

दिनांक :- 08/01/2022

हस्ताक्षर

()

नाम और पदनाम

सरकारी मोहर

(आशीष तिवारी)

सचिव,

पर्यावरण, वन एवं जलवायु

परिवर्तन विभाग,

उत्तर प्रदेश शासन।